

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-3/2017/

दिनांक:-

—:आदेश:—

अनम्मा मेथ्यू, नर्स प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूंगरा, बांसवाड़ा जिनकी जन्म तिथि 07.11.1957 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.09.1979 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2017 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि अनम्मा मेथ्यू, नर्स प्रथम के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

sl-

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-08-09-2017

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-3/2017/435

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेसनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक 890 दिनांक 05.07.2017 के क्रम में।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी छोटा डूंगरा, बांसवाड़ा।
5. प्रभारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर